न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या – अपील नं0 2019/00175 (175/2019) 75 एलआरएक्ट

1. वीर सिंह पुत्र महताब सिह जाति रायसिख निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2. सरवन सिंह पुत्र श्री महताब सिंह जाति रायसिखनिवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3. बलवीर सिंह पुत्र श्री महताब सिह जाति रायसिखनिवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनमानगढ (राज0) – अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारदार (राजस्व) हनुमानगढ।
2. जंगीरोबाई पुत्री महताब सिह पत्नी श्री जीत सिंह जाति रायसिख निवासी ओड़की तहसील हिन्दुमलकोट जिला श्रीगंगानगर।
3. कान्ताबाई पुत्री महताब सिंह पत्नी केसर सिंह जाति रायसिख निवासी चक 1 सी तहसील हिन्दुमल कोर्ट जिला श्रीगंगानगर।
4. नन्दोबाई पुत्री महताब सिह पत्नी सुरजन सिंह जाति रायसिखनिवासी फरमांवाली तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब) – रेस्पोडैन्टस

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 06.09.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ
प्र. सं. 12/2016 बअनवानी प्रार्थना–पत्र बलवीरसिह आदि

श्री सोमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्त रेस्पो0 सं0 1

निर्णय दिनांक –23.12.2019

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि चक 50 एन.जी.सी. एवं 51 एन.जी.सी. कुल 18 बीघा आराजी प्रार्थी के पिता महताबसिंह पुत्र श्री चांदी सिंह राष्ट्रपति भारत सरकार दर्ज है जिसकी खातेदारी प्रार्थी को दी जावे। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार हनुमानगढ से बिन्दूवार रिपोर्ट प्राप्त की एवं रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलाण्ट/प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गइ।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का विधिवत विवेचन व विश्लषण किये बिना प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने के आदेश दिये हैं, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट नही किया कि बिन्दु संख्या 2 क्या थी व उस पर तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट नही लिये जाने से प्रकरण किस प्रकार से प्रभावित हेाता है इसके अलावा तहसीलदार ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना नही की गई तो अधीनस्थ न्यायालय को पुनः रिपोर्ट मंगानी चाहिए थी। अपीलाधीन आदेश का दूसरा आधार यह है कि प्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य सबूत व विरास्तन नामांतरण बाबत कोई स्पष्ट जवाब एवं प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया है जबकि प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात से यह बखुबी स्पष्ट किया जा चुका था कि प्रश्नगत भूमि अपीलांट के पिताश्री महताब सिंह को आवंटित भूमि है व सैटलमैंट कम मैनेजिंग ऑफिसर श्रीगंगानगर के रिकार्ड के अनुसार अपीलाण्ट का नाम बतौर कलैमण्ट दर्ज है व इसके अलावा अपीलाण्ट द्वारा स्व0 महताब सिंह का वारिसान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया था जिससे यह बखूबी स्पष्ट था कि अपीलांट वे रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 4 महताब सिह के वारिसान हैं। जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 23.07.1985 में यह स्पष्ट था कि प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के पिता महताब सिंह को राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा आवंटित भूमि है व महताब सिंह का निधन हो चुका है व महताब सिंह के निधन के बाद उक्त भूमि के महताबसिंह के वारिसान हकदार हैं इस आदेशका कोई विवेचन नही किया गया। सनद क्रमांक 3473 दिनांक 25.03.1964 जारी होने के कथन करते हुए अपीलाण्ट का खतोदारी अधिकार दिये जाने का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है जो कतई गलत व विधि के विपरीत है। उक्त भूमि की सनद जारी हो चुकी है तो सनद के आधार पर विधि अनुसार हर सूरत में प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की जानी चाहिए थी। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट्स के पिता को आवंटित हुई थी जिसपर अपीलाण्ट्स का कब्जा काश्त है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णिय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में चक 50 एन.जी.सी. एवं 51 एन.जी.सी. कुल 18 बीघा आराजी प्रार्थी के पिता महताबसिंह पुत्र श्री चांदी सिंह राष्ट्रपति भारत सरकार दर्ज है जिसकी खातेदारी प्रार्थी को खातेदारी दिये जाने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था जो विचारण न्यायालय ने तहसीलदार हनुमानगढ की रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया है। अपील में अपीलाण्ट का यह आधार है कि उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का विधिवत विवेचन व विश्लेषण किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा जिस भूमि की खातदारी चाही गई है उस भूमि की सनद खातेदारी नंबर 3473 दिनांक 25.03.64 जारी होनी पाई गई है जिसकी छाया प्रति स्वयं प्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र के साथ पेश की गई है जिससे जाहिर माना है कि प्रश्नगत रकबे की सनद खातेदारी 25.03.1964 को जारी हो चुकी है अतः उसी रकबे की खातेदारी जारी करना उचित नही माना है। जिला कलक्टर महोदय के पत्रांक 20.06.2018 में चाही गई बिन्दुओं पर सूचना/स्पष्टीकरण पर तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा प्रतिउत्तर में स्पष्ट जवाब व बिन्दु संख्या 2 के बारे में कोई रिपोर्ट नही भिजवाई गई है। राजस्व रिकार्ड में 12.10.1982 को विरास्तन नामांतरकरण दर्ज है। जिसके संबंध में अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में कोई स्पष्ट जवाब नही प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार हनुमानगढ से इसके संबंध में कोई स्पष्ट जवाब प्रस्तुत नही किया है एवं अपीलाण्ट द्वारा भी कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलाण्ट को अपना वाद स्वयं के साक्ष्यों के आधार पर साबित करना चाहिए था। अपीलाण्ट अपील में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में जब प्रश्नगत भूमि की खातदोरी सनद नं. 25.03.1964 को जारी हो चुकी है तो पुनः लगभग 50 वर्ष बाद उसी रकबे की खतोदारी जारी कराने का उद्देश्य अपीलाण्ट स्पष्ट करने में असफल रहा है। अतः इस न्यांयालय के विनम्र मतानुसार अधीनस्थ न्यायलाय के निर्णय में ऐसी कोई विधिक त्रुटि नही पाते हैं जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.09.2019 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.10 13:01:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: